कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–890 ए/2841 दिनांक 07/12/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ –5–05/ 2022/ 10–2 दिनांक 04.11.2022

2. मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त का पत्र कमांक/तक.अधि./8623 दिनांक 30.11.2022

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विषयांकित प्रकरण में 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से 2 बिन्दुओं की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	आपत्ति	निराकरण
1	मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक / वविनि/ 2022/ मा. चि./ 1274 दिनांक 02.08.2022 का हवाला देते हुए (कक्ष क्र. 768, 527, 526, 558, 515,,487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का लेख किया गया है, किन्तु मंडल प्रबंधक के उपरोक्त पत्र में स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी गई है। अपितु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कृप्या मंडल प्रबंधक से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव द्वारा उनके पत्र क्रमांक / वविनि/ 2022/ मा. चि./ 2189 दिनांक 16.11.2022 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515,,487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463, 461 एवं 434 कुल वन कक्षों की संख्या 21 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है **(छायाप्रति संलग्न)**।
2	मंडल प्रबंधक, राजनांदगांव के पत्र दिनांक 02.08.2022 द्वारा 20 वन कक्षों के अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रस्ताव दिया गया है किन्तु वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित आवेदित वन क्षेत्र के विवरण में वन विकास निगम अंतर्गत 21 वन कक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। दोनों का मिलान करने पर राजनांदगांव वन मंडल के खुज्जी परिक्षेत्र के जंतर वनखंड के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 434 हेतु मंडल प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। कृपया उक्त संबंध में वन विकास निगम से स्पष्ट अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें जिसमें कक्ष क्रमांक पी 434 का भी उल्लेख हो।	

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग से प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 890ए/ 2852 रायपुर, दिनांक 07/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
07/12 छत्तीसगढ़